न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2017/3180

रंजीत सिंह पिता मूरत सिंह राजपूत
निवासी–ग्राम बिनायठा तह.खुरई जिला सागर म.प्र.

....................पुनरीक्षणकर्ता

//विरूद्ध//

1. श्रीमति उर्मिला पति राधेश्याम दुबे
निवासी–ग्राम मेहर तह. व जिला सागर म.प्र.
2. श्रीमति शोभा पति गनेश शुक्ला
निवासी –भगत सिंह वार्ड खुरई तह. खुरई जिला सागर म.प्र.
3. सुमतरानी पति शिवदयाल यादव
निवासी–दीनदयाल वार्ड खुरई तह. खुरई जिला सागर म.प्र.

..................अनावेदकगण

तारीख पेशी

प्रकरण कं.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है:–

यह कि पुनरीक्षण कर्ता यह पुनरीक्षण सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय खुरई के प्रकरण क. 75बी/121/2014–15 में पक्षकार रंजीत सिंह विरूद्ध उर्मिला में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.07.2017 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:–

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता ग्राम बिनायठा तह. खुरई जिला सागर का स्थाई निवासी है उसके नाम से ग्राम बिनायठा खसरा नं. 651/1 रकवा 1.18 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। जिसे उर्मिला दुबे द्धारा दिनांक 23.11.2007 को गिरवी के तौर पर 70000रू. में रजिस्टर्ड विकय पत्र लेख करा लिया था। पुनरीक्षणकर्ता ने उर्मिला दुबे से प्राप्त राशि 70000रू. उसे वापिस कर दी थी किन्तु उनके द्धारा पुनरीक्षणकर्ता को वापसी बेनामा नहीं किया गया था तथा उर्मिला दुबे ने अनावेदक क. 02 शोभा शुक्ला के लिये दिनांक 04.08.11 को उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित कर दिया था। जिसके संबंध में पुनरीक्षणकर्ता द्धारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खुरई की न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 05 उधार देने वालों के भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक / निगरानी / सागर / भू.रा. / 2017 / 3180

रंजीत सिंह विरूद्ध श्रीमती उर्मिला दुबे आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 75 / बी–121 / 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 31–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	